4/10/2

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 39 / 2022 (T.I.)

धौली पत्नी मूलचन्द जाति मीना निवासी निहालपुरा तहसील बैजूपाड़ा जिला दौसा।

प्रार्थीया

बनाम

1. गोकलसिंह पुत्र जयसिंह जाति राजपूत निवासी गोलाडा तहसील बैजूपाड़ा
2. यूको बैंक जरिये व्यवस्थापक शाखा बड़ियालकलां तहसील बसवा
3. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार महोदय बैजूपाड़ा तहसील बैजूपाड़ा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :– श्री खेमसिंह गुर्जर वकील प्रार्थीया

श्री प्रीतमचन्द वकील अप्रार्थी संख्या 1

दिनांक :– 29 / 03 / 2023

निर्णय

प्रार्थीया द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट के तहत इस आशय का पेश किया है कि भूमि काश्त वाके रामा ठीकरिया तहसील बैजूपाड़ा जिला दौसा में खाता संख्या नया 25 पुराना 24 खसरा नं. 375 रकबा 0.48 हेक्टेयर, खसरा नं. 377 रकबा 0.34 हेक्टेयर, खसरा नं. 378 रकबा 0. 24 हेक्टेयर, खसरा नं. 388 रकबा 0.37 हेक्टेयर, खसरा नं. 614 / 376 रकबा 0.02 हेक्टेयर, कुल किता 05 कुल रकबा 1.45 हैक्टेयर स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 1/2 राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। भूमि मुतदाविया प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि है जिसका अभी तक विधिवत रूप से तकास्मा नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण अवैध तरीके प्रार्थीया के हिस्से की भूमि मुतदाविया पर जबरन कब्जा करने पर आमदा है व भूमि मुतदाविया से प्रार्थीया को बेदखल करने पर आमादा हैं प्रार्थीया अपने हिस्से की भूमि पर बहामी बंटवारे से काबिज काश्त है। जब प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण से उक्त भूमि मुतदाविया का सरस–नरस के अनुसार विधिवत तकास्मा कराने की कही तो अप्रार्थीगण साफ इन्कार हो गये इसलिए प्रार्थीया को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिम हुआ है। मुतदाविया का विधिवत् तकास्मा नहीं होने के कारण प्रार्थीया को अपने खेत में सुधार करने तथा राज्य सरकार एवं भारत सरकार की कृषि सुधार के लिये जारी विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थीया भूमि मुतदाविया के अपने–अपने हिस्सेनुसार सरस–नरस व आवागमन के रास्ते का

उपखण्ड अधिकारी एव
उपखण्ड मजिस्ट्रेट

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

विधिवत् तकास्मा करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीया के हिस्से की भूमि का परस–परस रास्ते को ध्यान में रखते हुए तकास्मा किया जाकर अलग–अलग पर्चा कायम कर अलग–अलग लगान निर्धारित कर अलग–अलग पासबुक जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाना न्यायोचित है। अप्रार्थी द्वारा दिनांक 27.05.22 को भूमि मुतदाविया का विधिवत् तकास्मा करवाने से इन्कार करने के कारण प्रार्थीया को न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करना लाजिमी हुआ है। दिनांक 27.05.22 को प्रार्थीया अपने कब्जे काश्त के खेतों में सूड कर रही थीं तब अप्रार्थी सं. 01 खेतों पर आया और अप्रार्थी सं. 01 ने ऐलानियां धमकी देकर की है कि वो प्रार्थीया के उसके हिस्से की भूमि से बेदखल करकें कब्जा कर लेगें तथा भूमि को दीगर लोगों के बेचान कर देगें। अगर अप्रार्थी सं. 01 अपने नाजायज मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति कारित होगी। इस कारण अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से पाबन्द फरमाया जावें की वे स्वयं अपने परिवारजन, एजेन्ट, नौकर, मददगारान, भूमि वादग्रस्त के किसी भी हिस्से पर पुख्ता निर्माण न करें। भूमि विवादग्रस्त का बिना तकास्मा करवाये रहन, बय न करे तथा भूमि के रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें तथा प्रार्थीया के खेतों में आ रहे रास्ते में व्यधान कारित न करे। प्राईमाफेसाई केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के सिद्धान्त बमुकाबिले अप्रार्थीगण, प्रार्थीया के पक्ष में है। अतएव प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर से प्रतिबंधित किया जावें की वे स्वय, उनके एजेन्ट, नौकर, मददगारान, परिवारजन, प्रार्थीया की आराजी भूमि मुतदाविया वाके रामा ठीकरिया तहसील बैजूपाड़ा जिला दौसा में खाता संख्या नया 25 पुराना 24 खसरा नं. 375 रकबा 0.48 हेक्टेयर, खसरा नं. 377 रकबा 0.34 हेक्टेयर, खसरा नं. 378 रकबा 0.24 हेक्टेयर, खसरा नं. 388 रकबा 0.37 हेक्टेयर, खसरा नं. 614/376 रकबा 0.02 हेक्टेयर, कुल किता 05 कुल रकबा 1. 45 हैक्टेयर में किसी भी प्रकार का पुख्ता निर्माण कार्य, ना करें, भूमि मुतदाविया को किसी दीगर व्यक्ति, संस्था को रहन, बय न करें, भूमि मुतदाविया की राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की स्थित यथावत बनाये रखें तथा प्रार्थीया के खेतों में आ रहे रास्ते में व्यधान कारित करने से बाज व मुमतन्हा रहे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत कर अंकित किया है कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है। उक्त आराजी सहखातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी संख्या 01 आज से करीब 50 वर्षो से मकान नंबर 36 एस.पी.एस. नगर लुधियान पंजाब में रहता है एवं अपनी कब्जे काश्त की आराजी वर्णित प्रार्थना पत्र मद नंबर 2 भूमि को गांव के लोगों को बंटाई पर बताता

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
मण्डावर (दौसा)

है एवं उक्त भूमि को गैरसायल ने सायला से उक्त भूमि को खरीद किये जाने के पूर्व से ही अपने बडे भाई के समय से ही करीबन 50 वर्ष पूर्व से बाहमी बंटवारा कर रखा है एवं उसी बंटवारा अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। सायल ने गैरसायल संख्या 1 से आज तक कभी भी उक्त भूमि का विधिवत तकास्मा करवाने हेतु नहीं कहा है एव ना ही सायला गैरसायल संख्या 1 को कहीं आज तक मिली है। जब सायला गैरसायल संख्या 1 को आज तक मिली ही नहीं है तो फिर गैरसायल द्वारा सायला को विधिवत तकास्मा कराने से साफ इन्कार कर देने वाली बात बडी ही हास्यापद लगती है। गैरसायल संख्या 1 दिनांक 27.05.2022 को ग्राम गोलाडा नही आया तो फिर सायल द्वारा यह कहना कि दिनांक 27.05.2022 को उक्त भूमि का विधिवत तकास्मा कराने हेतु गैरसायल संख्या 1 द्वारा साफ इन्कार कर देने वाली बात बहुत ही हास्यापद लगती है एवं गैरसायल ने उक्त भूमि का तकास्मा करने से आज तक इन्कार नहीं किया है। आराजी वर्णित प्रार्थना पत्र मद नंबर 2 भूमि गैरसायल संख्या 1 एवं उसके बडे भाई मोहन सिंह राजपूत की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि थी जो कि उन्हें विरासत में प्राप्त हुई थी। जिसका गैरसायल संख्या 1 व उसके बडे भाई मोहन सिंह राजपूत ने आज से करीब 50 वर्ष पूर्व से ही उक्त भूमि का आपसी मनबट के आधार पर बंटवारा कर रखा था एवं उसी बंटवारा अनुसार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। चूंकि गैरसायल संख्या 1 एवं उसका बडा भाई मोहन सिंह राजपूत भी लूधियाना पंजाब में स्थाई रूप से निवास करते हैं। इसलिये गैरसायल संख्या 1 के बडे भाई ने आज से करीब 15 वर्ष पूर्व अपने हिस्से की भूमि का बेचान सायल को कर दिया था एवं तभी से सायला उक्त भूमि पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है जबकि गैरसायल संख्या 1 अपने हिस्से की भूमि को अपने गांव के लोगों को बंटाई पर बता देता है। चूंकि इस समय सायला के मन मकें बदयान्ति आ गयी है एवं वह गैरसायल संख्या 1 की हिस्से की भूमि पर जबरन लठ्ठ के बल पर व उक्त मुकदमें की आड में कब्जा करना चाहती है। इसलिये उसने झूठे एवं मनगढन्त तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। गैरसायल संख्या 1 दिनांक 27.05.22 को ग्राम गोलाडा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा नही आया। उस दिन वह लुधियाना पंजाब में मौजूद था। सायल ने बिना वाद हेतुक उत्पन्न हुये ही यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया है लिहाजा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी.के तहत खारिज होने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
[illegible] (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि गैरसायल संख्या 1 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस वकील फरीकेन सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया है कि प्रकरण में अप्रार्थीगण भूमि का बेचान करना चाहते है। अब अगर नये क्रेता आते हैं तो वाद बहुलता बढ़ेगी। अतः अप्रार्थीगण को आराजी के रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद फरमाया जावे। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया है कि प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि को अप्रार्थी संख्या 1 के भाई से क्रय किया था। विक्रेता का जहां पर कब्जा था वही पर क्रेता को कब्जा मिला है। प्रार्थीया द्वारा यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के अन्तर्गत किया गया है। इसमें कोई खातेदारी अधिकार नहीं मांगे गये हैं। इसलिए सह खातेदार को भूमि अन्तरण हेतु पाबंद नहीं किया जा सकता है। अतः प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर पेश होने से खारिज योग्य है।

बहस वकील फरीकेन पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

01. **प्रथम दृष्टया प्रकरण** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–79 विवादित आराजी प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की सम्मिलित खातेदारी की आराजी है। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से पर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चला आ रहे है और आज भी मौके पर अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त है। प्रार्थीया द्वारा यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के अन्तर्गत किया गया है। जमाबंदी के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रार्थीया द्वारा उक्त भूमि को क्रय किया था। विक्रेता का जहां पर कब्जा था वही पर क्रेता को कब्जा मिला है। प्रार्थीया द्वारा यह दावा मात्र विभाजन का किया है। इसमें कोई खातेदारी अधिकार नहीं मांगे गये हैं। इसलिए सह खातेदार को भूमि अन्तरण हेतु पाबंद किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थीया अपने वाद हेतुक के तथ्य को सिद्ध करने में प्रथम दृष्टया असफल रही है क्योंकि प्रार्थीया ने अपने वादपत्र में दिनांक 27.05.22 को धमकी देना बताया है। जबकि अप्रार्थी संख्या 1 का कथन है कि दिनांक 27.05.22 को अप्रार्थी पजांब में था। यहां पर प्रथम दृष्टया प्रार्थीया को अपना कथन सिद्ध करना चाहिए था। अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीया की अपेक्षा अप्रार्थी संख्या 1 में निहित है।

02. **सुविधा सन्तुलन** :– प्रथम दृष्टया प्रकरण से यह स्पष्ट है कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2076–79 विवादित आराजी प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण की सम्मिलित खातेदारी की आराजी है। जिसमें प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण अपने हिस्से पर मुताबिक

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
मण्डावर (दौसा)

राजस्व रिकॉर्ड खातेदार काश्तकार काबिज रहकर काश्त करते चला आ रहे है और आज भी मौके पर अपने हिस्से की आराजी पर कब्जा व काश्त है। जमाबंदी के अवलोकन से यह पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि को क्रय किया था। विक्रेता का जहां पर कब्जा था वही पर क्रेता को कब्जा मिला है। प्रार्थीया द्वारा यह दावा मात्र विभाजन का किया है। इसमें कोई खातेदारी अधिकार नहीं मांगे गये हैं। इसलिए सह खातेदार को भूमि अन्तरण हेतु पाबंद किया जाना उचित नहीं है। प्रार्थीया अपने वाद हेतुक के तथ्य को सिद्ध करने में प्रथम दृष्टया असफल रही है। अगर अप्रार्थी संख्या 1 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो यह अनावश्यक ही होगा। अतः असुविधा भी प्रार्थीया की तुलना में अप्रार्थी संख्या 1 को होगी।

03. **अपूरणीय क्षति :–** प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थी संख्या 1 में निहित है। अतः अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थी संख्या 1 को ही होगी।

प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि :–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट खारिज किया जाता है। इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 23/06/2022 को खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29/03/2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा) राज.